


आदेश

श्रीमती रोजलीन, नर्स श्रेणी प्रथम, जिन्होंने निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर के आदेश 1070 दिनांक 18.07.2017 की पालना में दिनांक 20.07.2017 को 'अग्रिम आदेश की प्रतीक्षा में' अपनी उपस्थिति निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर में प्रस्तुत की हैं, का पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के अधीन नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पद पर किया जाता है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : अराज/सामान्य/2017/1157

दिनांक : 16/8/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कोटा।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, कोटा सभाग।
6. अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, कोटा।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
9. प्रशासनिक अधिकारी, नर्सिंग अनुभाग, मुख्यालय।
10. श्रीमती रोजलीन, नर्स श्रेणी प्रथम जिन्होंने दिनांक 20.07.2017 निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की हैं, को आज दिनांक कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी उपस्थिति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी के समक्ष प्रस्तुत करें। कार्मिका द्वारा इस अवधि में राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त दिनांक 31 जुलाई तथा 01 से 03 अगस्त, 2017 तक के आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
12. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर